वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 06.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिंदुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़, परफेक्ट मिशन, भारत एकता टाइम्स, न्यायाधीश, "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 06.02.2025

वीडीए

आईजीआरएस की शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर

नकारात्मक फीडबैक पर जोनल और अवर अभियंता से मांगा स्पष्टीकरण

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। आईजीआरएस की शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बुधवार को वीडीए सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।

अपर सचिव परमानंद यादव ने बताया कि जनवरी में 22 नकारात्मक फीडबैक जोन तीन के वार्ड दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक और कोतवाली से मिले। संबंधित जोनल अधिकारी; अवर अभियंता से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया। जोनल अधिकारियों को बताया कि सात दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाएगा। शासनादेश में अंक देने करने के 5 मानक बिंदु दिए गए हैं। 4 में पूर्णांक होने और असंतुष्ट फीडबैक के कारण नंबर कट जाएंगे।

सभी को सचेत किया। स्थलीय जांच के समय फोटो के साथ रिपोर्ट लगाएं। कहा कि शिकायतकर्ता से बातचीत करें। मासिक मूल्यांकन के फीडबैक की स्थिति में अंकों की गणना की जाएगी। असंतुष्ट फीडबैक को कुल असंतुष्ट फीडबैक से घटाया नहीं जाएगा। आवेदक की ओर से दिए गए संतुष्ट फीडबैक के प्रतिशत के अनुसार अंक दिए जाएंगे।

कम शमन शुल्क जमा करने वालों को जारी करें नोटिस

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को वीडीए के सभी जोन के कार्यों की समीक्षा की। कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम शमन शुल्क जमा कराने वाले जोनल अधिकारी व अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करें। जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान, शमन शुल्क की वसूली पर जोर दिया। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असंतुष्ट प्रतिक्रिया देने वालों से बातचीत कर समाधान कराने की बात कही। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। अनधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ब्यूरो

निर्माणं भी ध्वस्त कराएं : अपर सचिव

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को वीडीए सभागार में लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा की। कहा कि स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों के निर्माण ध्वस्त कराएं। इसकी जिम्मेदारी जोनल अधिकारियों को दी गई। बैठक में बताया गया कि वार्ड शिवपुर, सिकरौल में अब तक शमन के रूप में 9,78,24,669 रुपये जमा कराए गए। वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में 6,63,23,831 रुपये जमा कराए गए हैं। सील प्रकरणों की जांच और बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एक सप्ताह में कराएं। बैठक में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता विजय सिंह, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 06.02.2025

अवैध निर्माण पर तीन को नोटिस

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को सिकरौल वार्ड में टकटकपुर का निरीक्षण किया गया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की ओर से तीन लोगों को अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया। संकठा नगर कॉलोनी में राजू गुप्ता की ओर से बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया गया। जिसे नोटिस दिया गया। टकटकपुर में अज्ञात की ओर से अवैध निर्माण करने पर नोटिस दिया गया। महावीर मंदिर के पास रीना गुप्ता की ओर से अवैध निर्माण कराया गया था। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 06.02.2025

ऑनलाइन मानचित्रों का हो भौतिक सत्यापन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की ओर से सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन मानचित्रों को स्वीकृत करने के पूर्व उसका भौतिक सत्यापन करें। इस दौरान निर्माणकर्ता की ओर से दाखिल मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। अवैध निर्माण कराने वालों पर प्रवर्तन की कार्रवाई करें। साथ ही अधिक से अधिक जांच कर अवैध निर्माण रोकें। शहर के सुनियोजित विकास पर विशेष ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। ब्यूरो

आज –दि0 06.02.2025

कार्यमें लापरवाहीपर जोनल अधिकारी और अवर अभियन्ताको कारण बताओ नोटिस जारी

तीन जोनकी बैठकमें विप्रा सचिवने कार्यको लेकर दिखायी नाराजगी

सम्न शुल्क वसूलीको लेकर जोनल अधिकारी और अवर अभिन्ताके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है। बुधवारको विप्रा सभागारमें सचिव डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रने दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक, कोतवाली,

भेलूपुर, नगवां, रामनगर और मुगलसरायमें कार्योंकी समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठकके दौरान समन मानचित्र, स्वीकृत मानचित्र, तहवानकी वसूलीको लेकर उन्होंने अधीनस्थोंसे नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उपरोक्त स्थानोंपर अनाधिकृत निर्माणको लेकर की गयी कारवाईसे भी सचिव असन्तुष्ट थे और उन्होंने चेतावनी देते हुए अधिकारियोंको निर्देश दिया कि आवश्यक कारवाईमें विलम्ब करनेपर प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, फीलिंगके विरुद्ध कारवाई सहित दस बकायेदारोंपर बिन्दुवार समीक्षा की गयी और पाया गया कि सम्बन्धित जोनके जोनल अधिकारी और अवर अभियन्ता वसूलीको लेकर लापरवाही बरते हैं। जोन तीनमें कुल ११, जोन चारमें १६, जोन पांचमें आठ। मिलाकर कुल ३५ मानचित्रको स्वीकृति प्रदान की गयी और जोन–तीन, चार, पांचमें समन शुल्क वसूली कम पायी गयी जिसके चलते जोनल अधिकारी और अवर अभियन्ताको चेतावनीके साथ कारण बताओ नोटिस जारी की गयी। समीक्षा बैठकमें परमानन्द यादव अपर सचिव, जोनल तीनके जोनल अधिकारी सौरभ डे प्रजापति, अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश, रोहित कुमार और राजू कुमार, जोन चारके जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अपर अभियन्ता सोनूकुमार, आदर्श निराला। जोन पांचके सिंह गौरव जयप्रकाश, अपर अभियन्ता अशोक कुमार यादवके अलावा भवन लिपिक और विन्यास लिपिक मौजूद थे।

दैनिक जागरण–दि0 06.02.2025

वीडीए ने 10 माह में वसूला 18.68 करोड़ का राजस्व

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण की बुधवार को जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बताया गया कि जारी वित्तीय वर्ष के बीते 10 माह में वीडीए ने शमन शुल्क आदि में 18.68 करोड़ से अधिक राजस्व की प्राप्ति की।

अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा ने बताया कि जोन-1 में अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि 9,78,24,669 रुपये एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में 6,63,23,831 रुपये जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। सचिव डा वेद प्रकाश मिश्रा ने जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल 2,27,21,241 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा हुआ। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जवाहर लाल नेहरु व्यावसायिक केंद्र परियोजना के री-डेवलपमेंट के संबंध में बैठक की। इस व्यावसायिक केंद्र का जर्जर होने के कारण एनबीसीसी के साथ नए सिरे से निर्माण का अनुबंध किया गया है। इसमें तय हुआ कि जवाहर नगर में सात फरवरी को कैंप लगाकर कब्जेदारों, उत्तराधिकारियों का डाटा तैयार किया जाएगा।

तीन मकानों को दिया नोटिस

वीडीए की टीम ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए तीन मकानों को नोटिस दिया गया। इसमें संकठानगर कालोनी, टकटकपुर में दो और महावीर मंदिर पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण चल रहा था।

भारत एकता टाइम्स–दि0 06.02.2025

शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं पर होगी कार्रवाई

समीक्षा

✡ वीडीए के अपर सचिव ने जोनल अधिकारियों को दिए निर्देश

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की अध्यक्षता में जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक सभागार कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में शमन शुल्क को लेकर चर्चा हुई। लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारी शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक शमन शुल्क के रूप में कुल 12,66,831.00 की राशि जमा हुई। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक अप्रैल माह से 9,78,24,669.00 की कुल शमन धनराशि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक शमन शुल्क के रूप में 13,53,405.00 तथा अप्रैल से अब तक 6,63,23,831.00 की कुल धनराशि जमा की गई। अपर सचिव ने स्वीकृत शमन पत्रावलियों के बावजूद बकाया शमन शुल्क न जमा करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी प्रवर्तन एवं विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही, सील प्रकरणों की जांच कर बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 06.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। प्राधिकरण सभागार में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा

जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली, जोन-4 भेलुपुर व नगवां, जोन-5 रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति 16.01.2025 से 31.01.2025 तक कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में श्री परमानन्द यादव-अपर सचिव / प्रभारी अधिकारी भवन, जोन-3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता श्री रविन्द्र प्रकाश, श्री रोहित कुमार व श्री राजू कुमार, जोन-4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता-श्री सोनू कुमार व श्री आदर्श निराला एवं जोन-5 के जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिकगण उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया हद्द के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, विन्यास व भवन वार्ड के टॉप-10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन-3 द्वारा कुल 11, जोन-4 द्वारा कुल 16 व जोन-5 द्वारा कुल 08 कुल-35 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 2,27.21.241.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ। जोन-5 द्वारा गत माह जनवरी, 2025) में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यधिक कम शमन शुल्क जमा कराये जाने पर सम्बन्धित जोनल अधिकारी व अवर अभियन्ता को कारण बताओं नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 06.02.2025

वीडीए के जोनल अफसर और जेई से जवाब तलब

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए मुख्यालय में बुधवार को सभी जोन के कार्यों की समीक्षा की गई। सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्र ने पड़ाव जोन के कार्यो में शिथिलता पर नाराजगी जताई और जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश तथा जेई अशोक कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी की गई।

पड़ाव जोन के अधिकारियों पर अन्य जोन की तुलना में कम शमन शुल्क वसूली पर यह कार्यवाई की गई। डॉ. मिश्र ने पड़ाव जोन के अधिकारियों को कार्य में तेजी के निर्देश दिये। बैठक में स्वीकृत शमन मानचित्र, शमन शुल्क की वसूली, आईजीआरएस पोर्टल पर जन शिकायतों के संबंध में नेगेटिव फीडबैक, अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण कार्यवाई, वार्ड के टॉप 10 बकायेदारों समेत अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, संजीव कुमार आदि रहे।

‘बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां हों बंद’

वाराणसी। वीडीए में बुधवार को अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने विभिन्न जोन में शमन मानचित्र, सील हुए अवैध निर्माण की यथास्थिति के संबंध में बैठक की। उन्होंने जोनल अफसरों से सील केस की जांच का निर्देश दिया। यदि बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां मिलें तो तत्काल खाली कराते हुए पार्किंग सुनिश्चित कराने को कहा। डॉ. शर्मा ने कहा कि बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों की गंभीरता से निगरानी की जाए।

हिन्दुस्तान –दि0 06.02.2025

टकटकपुर के तीन भवन स्वामियों को नोटिस

वाराणसी। वीडीए प्रशासन की ओर से सिकरौल वार्ड के टकटकपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। संकठा नगर कॉलोनी में एक और टकटकपुर में दो अवैध निर्माण पर भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया।

हिन्दुस्तान –दि0 06.02.2025

निगेटिव फीडबैक पर जवाब तलब

वाराणसी। आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में जनवरी में दशाश्वमेध जोन में सबसे अधिक 22 निगेटिव फीडबैक पर जोनल अधिकारी सौरभदेव प्रजापति, जेई रवींद्र प्रकाश से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह आदेश बुधवार को वीडीए मुख्यालय में अपर सचिव एवं प्रभारी अधिकारी परमानन्द यादव ने समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि मामलों की जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी बातचीत की जाए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 06.02.2025

सचिव वाविप्रा ने की जोन-3 के साप्ताहिक कार्यो की समीक्षा

वाराणसी। प्राधिकरण सभागार में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.3 ;वाड.ईशाश्वमेधए चेतगंजए चौक व कोतवालीद्धए जोन.4 ;भेलूपुर व नगवांद्धए जोन.5 ;रामनगर व मुगलसरायद्ध का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति ;16प्01प्2025 से 31प्01प्2025 तकद्ध कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में श्री परमानन्द यादव.अपर सचिव थ् प्रभारी अधिकारी ;भवनद्धए जोन.3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापतिए अवर अभियन्ता श्री रविन्द्र प्रकाशए श्री रोहित कुमार व श्री राजू कुमारए जोन.4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमारए अवर अभियन्ता. श्री सोनू कुमार व श्री आदर्श निराला एवं जोन.5 के जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाशए अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिकए विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिकगण उपस्थित रहे। उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्रए स्वीकृत शमन मानचित्रए तावान थ् शमन शुल्क की वसूलीए प्लैट पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया :छमहंजपअम थ्मकइंबाद्ध के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चाए अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाहीए अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल थ् डीजलथ्सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाहीए विन्यास व भवन ;वार्डद्ध के टॉप.10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन.3 द्वारा कुल 11ए जोन.4 द्वारा कुल 16 व जोन.5 द्वारा कुल 08 कुल.35 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन.3ए 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 2प्27प्21प्241प्00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ। जोन.5 द्वारा गत माह ;जनवरीए 2025द्ध में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यधिक कम शमन शुल्क जमा कराये जाने पर सम्बन्धित जोनल अधिकारी व अवर अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

वाविप्रा सभागार में आई0जी0आर0एस0 के संदर्भ में समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी। आई0जी0आर0एस0 संदर्भ के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु अनुभागीय अधिकारी/ जोनल अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारीगण के साथ प्राधिकरण सभागार में अपर सचिव/प्रभारी अधिकारी आई0जी0आर0एस0 परमानन्द यादव द्वारा समीक्षा बैठक की गई एवं शासन द्वारा दिनांक 15.01.2025 को जारी शासनादेश के अनुक्रम के प्रशिक्षण दिया गया। सम्बन्धित अधिकारी/जोनल अधिकारी एवं कर्मचारीगण को आई0जी0आर0एस0 संदभी का नियत दिनांक से 07 दिवस पूर्व निस्तारण रिपोर्ट नियत प्रारूप पर उपलब्ध करने हेतु निर्देश दिया गया। ङ्शासनादेश में अंक प्रदान करने के 05 मानक बिदुओ में 04 में पूर्णांक होने परन्तु असंतुष्ट फीडबैक अधिक होने के कारण नंबर कटने के दृष्टिगत सभी संबंधित को शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सचेत किया गया।ङ्माह जनवरी, 2025 में सर्वाधिक 22 नकारात्मक फीडबैक जोन संख्या-03 (दशास्वमेध, चेतगंज, चौक, कोतवाली) से प्राप्त हुए है जिसके दृष्टिगत संबंधित जोनल अधिकारी एवं और अवर अभियंता को 03 दिन मे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया। निर्देश दिया गया कि जिन प्रकरणो में स्थलीय जांच की जाती है उनमे स्थलीय जांच के समय का फोटोग्राफ निस्तारण रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। स्थलीय जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी वार्ता करके प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की जाए एवं सम्पूर्ण विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाय।

न्यायाधीश –दि0 06.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने की बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष कार्यालय में जवाहर लालनेहरु व्यावसायिक केंद्र परियोजना के री डेवलोपमेन्ट के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी द्य प्राधिकरण द्वारा निर्मित जवाहर लाल नेहरु व्यावसायिक केंद्र का जर्जर होने के कारण प्राधिकरण एवं हडक्टए के मध्य निष्पादित अनुबंध के क्रम में हडक्टए के प्रोजेक्ट मेनेजर एवं प्रभारी अधिकारी संपत्ति, नगर नियोजक तथा अपर सचिव के उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई द्य व्यापक विचार विमर्श के उपरांत यह निर्देशित किया गया कि उक्त व्यावसायिक केंद्र में आवंटियों/ दुकानदारों /किरायदारों से व्यापक संपर्क स्थापित करते हुए संपत्तियों के स्वामियों व कब्जेदारों का विवरण ज्ञात किया जाये तथा जिन सन्दर्भों में आवंटियों की मृत्यु हो गयी हो अथवा उनके द्वारा आवंटित संपत्ति का विक्रय कर दिया गया हो एवं इसी प्रकार किरायदारों के बड़े मामलों में किरायदारों का देहांत हो गया हो अथवा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया हो अथवा उक्त संपत्ति में दीगर सख्श हो तो उसका संपूर्ण विवरण ज्ञात किया जाये। मृतकों के वरिशों का नाम प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु वारिसों द्वारा जो भी आवेदन पत्र मय अभिलेख प्राप्त कर संपत्तियों पर नामान्तरण की कार्यवाही की जाये । किरायदारों के नामान्तरण के मामलों में अथवा किसी भी किरायदारों के मामले में उन्हें नियमित करने के बाबत पालिसी ड्राफ्ट की जाय। इस संदर्भ में उपाध्यक्ष द्वारा संपत्ति विभाग को आदेशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा आगामी 07 फरवरी 2025, शुक्रवार को पुर्वाह्न 11 बजे जवाहरलाल नेहरू व्यावसायिक केंद्र में एक कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का कार्य किया जाएगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 06.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 26.01.2025 से 31.01.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 12,66,831.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-9,78,24,669.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 26.01.2025 से 31.01.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 13,53,405.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली

के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया।

सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में 1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

न्यायाधीश –दि0 06.02.2025

जोन-01, वार्ड-सिकरौल मे टकटकपुर महावीर रोड का किया गया स्थल निरीक्षण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे जोन-01, वार्ड-सिकरौल मे टकटकपुर महावीर रोड का स्थल निरीक्षण जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता द्वारा किया गया, कृत कार्यवाही निमन्वत है वार्ड-सिकरौल, संकठा नगर कालोनी, टकटकपुर मे राजू गुप्ता द्वाराड बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग ड250.00 वर्ग मीटर के क्षेत्रफलड पर अवैध निर्माण किया जा रहा था ट उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 धारा-27,28 एवं 28(।।)की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। वार्ड-सिकरौल, टकटकपुर मे अज्ञात द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग ड450.00 वर्ग मीटर के क्षेत्रफलड पर अवैध निर्माण किया जा रहा था ट उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 धारा-27,28 एवं 28(।।)की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। वार्ड-सिकरौल, टकटकपुर महावीर मंदिर मे रीना गुप्ता द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग ड260.00 वर्ग मीटर के क्षेत्रफलड पर अवैध निर्माण किया जा रहा था ट उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 धारा-27,28 एवं 28(।।)की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी शिवा जी मिश्रा अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी उपस्थित रहीं।

परफेक्ट मिशन–दि0 06.02.2025

शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं पर होगी कार्रवाई

जोनल अधिकारियों को दिए निर्देश

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की अध्यक्षता में जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक सभागार कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में शमन शुल्क को लेकर चर्चा हुई। लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारी शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें।

जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक शमन शुल्क के रूप में कुल 12,66,831.00 की राशि जमा हुई। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक अप्रैल माह से 9,78,24,669.00 की कुल शमन धनराशि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक शमन शुल्क के रूप में 13,53,405.00 तथा अप्रैल से अब तक 6,63,23,831.00 की कुल धनराशि जमा की गई।अपर सचिव ने स्वीकृत शमन पत्रावलियों के बावजूद बकाया शमन शुल्क न जमा करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी प्रवर्तन एवं विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही, सील प्रकरणों की जांच कर बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता देने और अधिकतम एक सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता विजय सिंह, प्रिया अग्रहरि, किरण सिंह विनोद कुमार, रक्षित रघुवंशी व अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई ऑनलाइन क्लास की समय सीमा

वाराणसी। जनपद के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वाराणसी में भीड़ को देखते हुए ऑनलाइन क्लास 8 फरवरी तक जारी रहेंगी। इस दौरान स्कूल बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लास ही जारी रहेंगी। यह आदेश परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से जुड़े हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षाएं पूर्व की भांति भौतिक रूप से जारी रहेंगी। वहीं, परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में डीबीटी, आधार आईडी सीडिंग जैसे प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। इस दौरान सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जैसे बाल वाटिका, ऑपरेशन कायाकल्प, विद्यालय की मरम्मत, रंगाई-पुताई और एमडीएम संबंधित कार्य पूरे करने होंगे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 06.02.2025

वीडीए वीसी की अध्यक्षता में परियोजना के री डेवलोपमेन्ट के बाबत हुई बैठक

तरुणमित्र न्यूज

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू व्यावसायिक केंद्र परियोजना के री डेवलपमेंट के बाबत हुई बैठक

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में वीसी कार्यालय में बुधवार को जवाहर लाल नेहरु व्यावसायिक केंद्र परियोजना के री डेवलोपमेन्ट के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी द्य प्राधिकरण द्वारा निर्मित जवाहर लाल नेहरु व्यावसायिक केंद्र का जर्जर होने के कारण प्राधिकरण एवं NBCC के मध्य निष्पादित अनुबंध के क्रम में NBCC के प्रोजेक्ट मेनेजर एवं प्रभारी अधिकारी संपत्ति, नगर नियोजक तथा अपर सचिव के उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई।

व्यापक विचार विमर्श के उपरांत यह निर्देशित किया गया कि उक्त व्यावसायिक केंद्र में आवंटियों/ दुकानदारों/ किरायदारों से व्यापक संपर्क स्थापित करते हुए संपत्तियों के स्वामियों व कब्जेदारों का विवरण ज्ञात किया जाये तथा जिन सन्दर्भों में आवंटियों की मृत्यु हो गयी हो अथवा उनके द्वारा आवंटित संपत्ति का विक्रय कर दिया गया हो एवं इसी प्रकार किरायदारों के बड़े मामलों में किरायदारों का देहांत हो गया हो अथवा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया हो अथवा उक्त संपत्ति में दीगर सख्श हो तो उसका संपूर्ण विवरण ज्ञात किया जाये। मृतकों के वरिशों का नाम प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु वारिसों द्वारा जो भी आवेदन पत्र मय अभिलेख प्राप्त कर संपत्तियों पर नामान्तरण की कार्यवाही की जाये। किरायदारों के नामान्तरण के मामलों में अथवा किसी भी किरायदारों के मामले में उन्हें नियमित करने के बाबत पालिसी ड्राफ्ट की जाये द्यइस संदर्भ में वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा संपत्ति विभाग को आदेशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा आगामी 07 फरवरी 2025, शुक्रवार को पुर्वाह्न 11 बजे जवाहरलाल नेहरू व्यावसायिक केंद्र में एक कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का कार्य किया जाएगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 06.02.2025

वीडीए में सचिव ने की ज़ोन 3, 4 व 5 के साप्ताहिक कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने प्राधिकरण सभागार में बुधवार को जोन-3 (वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली), जोन-4 (भेलूपुर व नगवां), जोन-5 (रामनगर व मुगलसराय) का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति (16.01.2025 से 31.01.2025 तक) कार्यों की समीक्षा की। जिसमें आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया (Negative Feedback) के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/ सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, विन्यास व भवन (वार्ड) के टॉप-10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा समीक्षा बैठक लेते हुए। संयुक्त सचिव परमानंद यादव सहित सभी मातहत रहे मौजूद

आलोच्य अवधि में जोन-3 द्वारा कुल 11, जोन-4 द्वारा कुल 16 व जोन-5 द्वारा कुल 08 कुल-35 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 2,27,21,241.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ। जोन-5 द्वारा गत माह (जनवरी, 2025) में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यधिक कम शमन शुल्क जमा कराये जाने पर सम्बन्धित जोनल अधिकारी व अवर अभियन्ता को कारण बताओं नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में परमानन्द यादव-अपर सचिव / प्रभारी अधिकारी (भवन), जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश, रोहित कुमार व राजू कुमार, जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता सोनू कुमार व आदर्श निराला एवं जोन-5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिकगण उपस्थित रहे।